मध्यप्रदेश विधान सभा

सितम्बर, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 7 सितम्बर, 1992 (भाद्र 16, 1914)

समय 10.30 बजे दिन

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री उदयसिंह पंड्या, प्रेमसिंह दत्तीगांव, सदस्य, टैक्स्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदाय की गई घटिया कीटनाशक के प्रयोग से फसलों को हुई क्षति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री माधव सिंह ध्रुव, सदस्य, रायपुर वन मंडल के अनेक क्षेत्रों में राजस्थान के जानवरों के प्रवेश से जंगलों का विनाश होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

लाल राजेन्द्र सिंह बघेल, सभापति, आश्वासन समिति का सत्रहवां, अठारहवां एवं उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अनूप सिंह मरावी, सदस्य, जिला जबलपुर तहसील कुण्डम के ग्राम मिहगंवा के भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि आवंटन करने,

(2) श्री तेज सिंह सेंधव, सदस्य, जिला देवास, विकासखण्ड बागली के ग्राम आमलाताज में अस्पताल भवन बनाने,

(3) श्री देशराज सिंह, सदस्य, जिला गुना, विकासखण्ड मुंगावली के शासकीय महाविद्यालय के भवन की स्वीकृति,

(4) श्री मोहनलाल शिशिर, सदस्य -

(क) जिला सीहोर के विधान सभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत, बकतरा-शाहगंज, शाहगंज-बुधनी, बुधनी-नसरूल्लागंज व्हाया रेहटी, नसरूल्लागंज-गोपालपुर, तथा नसरूल्लागंज-नादान व्हाया बडकुई रोड की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) जिला सीहोर विकासखंड नसरूल्लागंज के अंतर्गत गोपालपुर-पिपलानी, छिन्दगांवमोजी-छापरी, सतराना-चकलदी, तथा इटावाकलां-निमोटा सड़कों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने,

(5) श्री विक्रम सिंह यादव, सदस्य -

(क) जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी नगरपालिका पृथ्वीपुर के हाई स्कूल में ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा प्रारंभ कराये जाने,
(ख) जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी के अंतगर्त नगरपालिका निवाड़ी के हाईस्कूल में ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा प्रारंभ कराये जाने,

(6) श्री पूरसिंह पवार, सदस्य -

(क) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम माचलपुर में कन्या हाईस्कूल खोले जाने,
(ख) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर की कालीसिंध नदी, भगौरा रोड पर रपटा निर्माण कराने,
(ग) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम मांचलपुर में जल संकट को दूर करने के लिए भूतियावें बांध का निर्माण करने,
(घ) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम पगारिया डगजीरापुर मार्ग पर कालीसिंध नदी पर रपटा निर्माण कराने,

(च) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के जीरापुर नगर में पानी की टंकी का निर्माण,
(छ) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम भंडावद में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने,
(ज) जिला राजगढ़ विकासखण्ड खिलचीपुर के ग्राम संडावता सोनखेड़ा, ब्राम्हणगांव, जेतपुरा में सड़क निर्माण कराये जाने,
(झ) जिला राजगढ़ विकासखण्ड खिलचीपुर के ग्राम बाबड़ी खेड़ा में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(7) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य -

(क) जिला दुर्ग के साजा अनुविभागीय मुख्यालय में 30 बिस्तर वाले अस्पताल का भवन निर्माण कराने,
(ख) जिला दुर्ग विकासखण्ड साजा के ग्राम देवकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ग) जिला दुर्ग विकासखण्ड साजा के ग्राम भटगांव में पूर्व माध्यमिक शाला खोले जाने,
(घ) जिला दुर्ग विकासखण्ड साजा के ग्राम साजा के शा. महाविद्यालय का भवन निर्माण कराने,
(च) जिला दुर्ग विकासखण्ड साजा के ग्राम साजा में कन्या उ.मा. शाला का भवन निर्माण कराये जाने,

(8) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य -

(क) जिला मुरैना के ग्राम मानपुर तहसील में डाक बंगले की सीमा दीवार बनाने,
(ख) जिला मुरैना तहसील जौरा के ग्राम महाराजपुर गांव से गुजरने वाली सड़क की ऊंचाई बढ़ाने,
(ग) जिला मुरैना तहसील जौरा के ग्राम तोर (तिलावली) में श्री मुंशी सिंह पमार के मोहल्ले से भूपसिंह के मोहल्ले तक खड़ंजा निर्माण कराने,
(घ) जिला मुरैना के ग्राम गलेथापरगना जौरा के मजरा झील के पुरा के तालाब को पक्का कराने,
(च) जिला मुरैना के ग्राम सोटा-मुंगावली में सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
(छ) जिला मुरैना के ग्राम बसई (पलपुरा) परगना में खड़ंजा निर्माण कराये जाने,
(ज) जिला मुरैना के ग्राम मुंगावली के अंदर की सड़क ऊंची कर दोनों ओर नालियां निर्मित कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, राज्य मंत्री आवास एवं पर्यावरण, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 18 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, कृषि मंत्री, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 19 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

6. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/ललित जैन/गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 1 सन् 1992) का अननुमोदन करता है".

1 घन्टा

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1992, (क्रमांक 9 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/गजराज सिंह सिकरवार/जालम सिंह पटेल, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश सामान्य विक्रयकर (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 2 सन् 1992) का अननुमोदन करता है".